बजट
अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : निसंशि/लेखा-1/बजट/BFC-2022-23/29763-30169 दिनांक : 8/9/2021

1. प्राचार्य,आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय (समस्त)/एसटीसी महापुरा।
2. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी (समस्त)।
3. समस्त संकुल प्रभारी, संस्कृत शिक्षा राजस्थान।
4. उपनिदेशक राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,महापुरा,जयपुर

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय व्ययक अनुमान एवं 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान तैयार करने बाबत।

महोदय,

विभागीय बजट प्रस्ताव आय व्ययक अनुमान 2022-23 एवं संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए तैयार कर राज्य सरकार को नियत तिथि तक प्रेषित किये जाने है। अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय तथा आपके अधीनस्थ संकुलाधीन संस्थाओं में दिनांक 01.04.2017 से संधारित नवीन बजट मदों के अनुसार आय व्यय अनुमान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्र 1 से 15 में तैयार कर तथा हार्ड कॉपी कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी जांच पश्चात् हस्ताक्षर कर नीचे दिये गये निर्देशानुसार प्रस्तुत करावें।

1. प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure/Other Than Scheme)
2. गैर प्रतिबद्ध व्यय (Non Committed Expenditure/ Scheme)
3. सर्व शिक्षा अभियान व्यय (SSA)

**बजट प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण निर्देश :-**

1. समस्त प्राचार्य/आचार्य/शास्त्री महाविद्यालय/शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय/SSIERT संलग्न कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्र में अपने बजट प्रस्ताव निदेशालय में लेखा शाखा में बजट मदवार पृथक पृथक पी. डी. एफ. फाइल के माध्यम से ई-मेल आई. डी. acc.sanskrit@gmail.com पर मेल द्वारा प्रस्तुत करेंगे।
2. समस्त प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय द्वारा अपने कार्यालय तथा अपने संकुलाधीन संस्थाओं सहित बजट प्रस्ताव एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर तथा हार्ड कॉपी कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी जांच पश्चात् हस्ताक्षर कर **सम्बन्धित संभागीय कार्यालयों में प्रस्तुत करेंगे।**
3. समस्त आहरण वितरण अधिकारी स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ संकुलों के कार्मियों जिनका बजट उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना है के **पदों का मिलान** से सम्बंधित प्रस्ताव संभाग को प्रस्तुत करें एवं संभाग द्वारा निदेशालय में संबंधित संस्थापन शाखा से पदों का मिलान करवाया जाना सुनिश्चित किया जाव। संकुल प्रभारी को उक्त कार्य हेतु निदेशालय में व्यक्तिशः उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। पद मिलान के अभाव में बजट स्वीकार्य नहीं होगा। बजट मदवार पद मिलान करवाकर तदानुसार ही बजट तैयार किया जावेगा।
4. बजट के लिए निर्धारित तिथि को किसी कारणवश अवकाश घोषित होने पर अगले कार्य दिवस को बजट प्रस्तुत किया जावेगा।
5. समस्त संभागों में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I/कनिष्ठ लेखाकारों/बजट से संबधित विज्ञ कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि संभाग के अधीनस्थ समस्त वरिष्ठ उपाध्याय एवं प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयों से निर्धारित प्रपत्रों में उनके द्वारा किये गये पद मिलान के अनुसार बजट प्राप्त करें तथा संभागीय कार्यालयों के लिए निर्धारित तिथियों पर आवश्यक रूप से स्वयं के कार्यालय तथा वरिष्ठ उपाध्याय व प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयों का एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त बजट संकलन उपरान्त बजट लेकर व्यक्तिशः निदेशालय में उपस्थित होंगे।

**आय व्यय के अनुमान तैयार करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें :-**

1. आय व्यय के अनुमान 2022-23 एवं संशोधित अनुमान 2021-22 से सम्बन्धित प्राप्तियों के प्रस्ताव (प्रवेश शुल्क, टी.सी. शुल्क आदि) प्रपत्र 10 में तैयार कर प्रस्तुत करें साथ ही ध्यान रखें कि 31.08.2021 तक प्राप्त आय को 31.08.2021 तक ही राजकोष में बजट मद 0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, 01-सामान्य शिक्षा, 600-सामान्य, (01)-शिक्षा फीस एवं अन्य फीसें [02] संचालक संस्कृत शिक्षा के द्वारा मद में जमा कराकर चालान की छाया प्रति बजट के साथ संलग्न करावें।
   अन्य प्राप्तियों (नीलामी आदि) के प्रस्ताव बजट मद 0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृत, 01-सामान्य शिक्षा, 600-सामान्य, (02)-अन्य प्राप्तियां, [02] संचालक संस्कृत शिक्षा के द्वारा विविध प्राप्तियां, मद में जमा कराकर चालान की छाया प्रति बजट के साथ संलग्न करावें।
2. आय-व्यय के अनुमान तैयार करते समय वित्त विभाग के परिपत्र कमांक पं.4 (48) वित्त-1(1) आ.व्य./2021 जयपुर, दिनांक 06.09.2021 द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।
3. कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि प्रपत्र 8 तैयार करते समय आय व्ययक अनुमान 2022-23 एवं संशोधित अनुमान 2021-22 के प्रस्ताव निदेशालय द्वारा मिलान किये गये पदों के केडरवाइज बनावें तथा प्रत्येक बजट मद

के प्रपत्र-8 अलग-अलग तैयार करावें। साथ यह भी ध्यान रखे कि प्रपत्र-8 में केवल कार्यरत कर्मियों का ही बजट प्रस्तुत किया जाना है, <u>रिक्त पदों से सम्बन्धित कोई प्रावधान प्रपत्र-8 में नहीं, दर्शाया जाना है।</u>

4. प्रायः यह देखा गया है कि आय एवं प्राप्तियों के अनुमानों के साथ आय व्ययक अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों के प्रस्ताव आहरण एवं वितरण अधिकारी अपनी स्वयं की संस्था के ही तैयार कर प्रेषित कर देते है तथा अधीनस्थ संस्थाओं की सूचना तैयार नहीं करते है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त विद्यालयों/संकुल संस्थाओं की 31.08.2021 तक की प्राप्त आय को राज्य कोष के प्राप्ति मद में जमा कर राशि के चालान की छाया प्रति प्रस्तावों के साथ संलग्न करावें।
5. संस्थावार सभी कर्मचारियों के वेतन का विवरण प्रपत्र 8 में सातवें वेतन आयोग के तहत निर्धारित वेतन के अनुसार बनाया जाए तथा यदि किसी कर्मचारी का सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन आहरण नहीं हुआ है तो उसका प्रपत्र-8 सम्बन्धित बजट मद में वास्तविक वेतन भत्तों के आधार पर(महंगाई भत्ते की दर जो वर्तमान में लागू है ) अलग से बनाया जाकर प्रस्तुत किया जावें।
6. संवेतन मदों के अनुमान प्रपत्र-8 में तथा अन्य मदों यथा टी.ए. मेडिकल, कार्यालय व्यय आदि के अनुमान प्रपत्र 9 में तैयार करें। वेतन स्थिरीकरण एरियर <u>( इस वित्तीय वर्ष में पूर्व में आहरित एवं शेष अवधि में आहरित होने वाले)</u> व्यय को भी इस प्रपत्र-8 में जोडकर कुल व्यय का आंकलन करें।
7. प्रपत्र-8 में संस्थावार कर्मचारियों के नाम दर्शायें तथा यह भी ध्यान रखें कि अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के व्यय को भी अनुमान में शामिल किया जावें। <u>प्रत्येक बजट</u> मद का <u>प्रपत्र-8 अलग-अलग बनावें। संवेतन मद का निम्न क्रमानुसार वर्गीकरण करें।</u>

1. अधिकारियों का वेतन (वास्तविक वेतन के अनुसार)
2. कर्मचारियों का वेतन (वास्तविक वेतन के अुनसार)
3. विशेष भत्ता (यदि कोई हो)
4. महंगाई भत्ता संभावित 36% की दर से
5. मकान किराया (नवीन वेतनमान के अनुसार 9 व 18 प्रतिशत नियमानुसार जो लागू हो तथा पुराने वेतनमान में वेतन होने पर नियमानुसार जो देय है)
6. शहरी भत्ता (यदि लागू हो)
7. वेतन स्थिरीकरण व अन्य कोई एरियर यदि हो।
8. बोनस।
9. समर्पित अवकाश

8. <u>कार्यालय व्यय का वर्गीकरण निम्नानुसार करें :-</u>

1. डाक, तार,
2. दूरभाष व्यय (कार्यालय में स्थापित टेलीफोन से संबंधित व्यय बजट में सम्मिलित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करावें कि उक्त टेलीफोन की स्वीकृति राज्यसरकार (वित्त विभाग) से प्राप्त कर ली गई है (स्वीकृति की प्रति संलग्न करावें)।
3. पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिका
4. विद्युत, जल प्रभार आदि पर व्यय
5. फर्नीचर मरम्मत एवं नवीनीकरण
6. कम्प्यूटर सेवाऐं एवं रखरखाव
7. RSCIT Fees पुनर्भरण
8. अन्य आकस्मिक व्यय

<u>9.मशीनरी एवं उपकरण :-</u> उपकरण एवं मशीनरी का मूल्य अलग-अलग दिखाया जावें (यदि कोई हो)

<u>10.वाहनों पर व्यय (यदि लागू हो) :-</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | वाहन का संधारण | :- | कार्यालय हेतु वाहन का संधारण कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संधारण व्यय दोनो इसी मद में दर्शाये जावेगें। |
| 2 | वाहन किराया | :- | इस मद में वाहन के स्थान पर किराये पर लिए गए वाहनों की संख्या तथा उसका किराया बताया जावें। किराये पर वाहन लेने की स्वीकृति (राज्य सरकार/निदेशालय द्वारा जारी) की प्रति संलग्न करें। |

11. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि अपने स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ आने वाले वरिष्ठ उपाध्याय/प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयों एवं इनके अन्तर्गत आने वाले संकुलों संस्थाओं के स्वीकृत पदों का निदेशालय संस्कृत शिक्षा से मिलान कर वरिष्ठ उपाध्याय/प्रवेशिका विद्यालयों का मिलान किये पदों के अनुसार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्रों में बजट तैयार कर मुख्य लेखाधिकारी, संस्कृत शिक्षा को निर्धारित तिथि तक संकलित कर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
12. समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि बजट प्रस्ताव एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्र (1 से 15) में उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार तैयार कर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I,ग्रेड-II/कनिष्ठ लेखाकार/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक (बजट के संबंध में जानकारी रखने वाले कर्मचारी) के साथ निर्धारित तिथि को (संभागीय कार्यालय/सहायक निदेशक (मुख्यालय) संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित तिथि को तथा वरिष्ठ उपाध्याय तथा प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय संभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

16. समस्त आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय (समस्त)/एसटीसी महापुरा/SSIERT एवं समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि अपने स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ आने वाले वरिष्ठ उपाध्याय/प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयों एवं इनके अन्तर्गत आने वाले संकुलों संस्थाओं में कार्यरत् कार्मिक जिनका RSCIT की फीस का पुनर्भरण किया जाना है की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आदेश क्रमांक No. F8(270)/DOIT/Gen/16/I/67109 दिनांक 10.04.2017 एवं No. F8(270)/DOIT/ Gen/ 16/ I/ 67108 दिनांक 10.04.2017 के अनुसार जाँच उपरान्त संकलित कर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जावे।

| क्र.स. | संस्था का नाम | कर्मचारियों का नाम | प्रयास जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की (प्रथम,द्वितीय,तृतीय आदि) | पुनर्भरण योग्य राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी

बजट प्रस्तुतिकरण का दिनांकवार कार्यक्रम

| क्र.सं. | नाम आहरण वितरण अधिकारी | दिनांक |
|---|---|---|
| | प्राचार्य राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय/एसटीसी | |
| 1 | सरमथुरा,कोटा,बौली,चौथ का बरवाड़ा,जयपुर | 15.09.2021 |
| 2 | जोधपुर,उदयपुर,नाथद्वारा पीठ, चेचट, | 17.09.2021 |
| 3 | महापुरा,कालाडेरा चिराणा, सीकर,अलवर | 20.09.2021 |
| 4 | कोटकासिम भरतपुर,सालासर,दौसा,तालाबगाँव | 21.09.2021 |
| 5 | चक खाचरियावास (सीकर), एसटीसी महापुरा, अजमेर, कुण्डगेट सावर, मनोहरपुर, चीथवाड़ी | 22.09.2021 |
| 6 | नीम का थाना,श्रीमाधोपुर,गनौड़ा, बीकानेर,तीतरिया,SSIERT महापुरा | 23.09.2021 |
| | संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी | |
| 1 | कोटा,भरतपुर उदयपुर, | 01.10.2021 |
| 2 | जोधपुर,चूरू,अजमेर,जयपुर | 04.10.2021 |
| 3 | आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा | 05.10.2021 |

(1) आय व्ययक अनुमान तैयार करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आय-व्ययक नियमावली संलग्न परिशिष्ट "क" तथा एकीकृत वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली की वेबसाईट http://ifms.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

(2) बजट परिपत्र ऑन लाईन वित्त विभाग की वेबसाईट **finance.rajasthan.gov.in** पर भी देखें जा सकते है, जिनमें (बजट प्रपत्र 1से 15) उपलब्ध हैं।

मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : निसंशि/लेखा-1/बजट/BFC-2022-23/29763-30169

दिनांक 8/9/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सहायक निदेशक निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभाग के विभिन्न बजट मदों में स्वीकृत पदों के मिलान संबंधी कार्यवाही करावें।
2. शैक्षणिक अधिकारी-I,II निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय भवन मरम्मत के प्रस्ताव मय एस्टीमेंट दिनांक 20.09.2021 तक प्रेषित करावें।
3. आहरण-वितरण अधिकारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर/कनिष्ठ लेखाकार मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि पर कार्यालय के बजट अनुमान 2022-23 व संशोधित अनुमान 2021-22 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्र 1 से 15 में तैयार कर तथा हार्ड कॉपी कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी जांच पश्चात् हस्ताक्षर कर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें।
4. प्रभारी अधिकारी, आयोजना शाखा निदेशालय संस्कृत शिक्षा।
5. श्री शंकर सोनी पुस्तकालयाध्यक्ष निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर

16.समस्त आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय (समस्त)/एसटीसी महापुरा/SSIERT एवं समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि अपने स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ आने वाले वरिष्ठ उपाध्याय/प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयों एवं इनके अन्तर्गत आने वाले संकुलों संस्थाओं में कार्यरत् कार्मिक जिनका RSCIT की फीस का पुनर्भरण किया जाना है की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आदेश क्रमांक No. F8(270)/DOIT/Gen/16/I/67109 दिनांक 10.04.2017 एवं No. F8(270)/DOIT/ Gen/ 16/ I/ 67108 दिनांक 10.04.2017 के अनुसार जाँच उपरान्त संकलित कर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जावे।

| क्र.स. | संस्था का नाम | कर्मचारियों का नाम | प्रयास जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की (प्रथम,द्वितीय,तृतीय आदि) | पुनर्भरण योग्य राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी

बजट प्रस्तुतिकरण का दिनांकवार कार्यक्रम

| क्र.सं. | नाम आहरण वितरण अधिकारी | दिनांक |
|---|---|---|
| | **प्राचार्य राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय/एसटीसी** | |
| 1 | सरमथुरा,कोटा,बौली,चौथ का बरवाड़ा,जयपुर | 15.09.2021 |
| 2 | जोधपुर,उदयपुर,नाथद्वारा पीठ, चेचट, | 17.09.2021 |
| 3 | महापुरा,कालाडेरा चिराणा, सीकर,अलवर | 20.09.2021 |
| 4 | कोटकासिम भरतपुर,सालासर,दौसा,तालाबगॉव | 21.09.2021 |
| 5 | चक खाचरियावास (सीकर), एसटीसी महापुरा, अजमेर, कुण्डगेट सावर, मनोहरपुर, चीथवाड़ी | 22.09.2021 |
| 6 | नीम का थाना,श्रीमाधोपुर,गनौड़ा, बीकानेर,तीतरिया,SSIERT महापुरा | 23.09.2021 |
| | **संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी** | |
| 1 | कोटा,भरतपुर उदयपुर, | 01.10.2021 |
| 2 | जोधपुर,चूरू,अजमेर,जयपुर | 04.10.2021 |
| 3 | आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा | 05.10.2021 |

(1) आय व्ययक अनुमान तैयार करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आय-व्ययक नियमावली संलग्न परिशिष्ट-"क" तथा एकीकृत वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली की वेबसाईट http://ifms.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

(2) बजट परिपत्र ऑन लाईन वित्त विभाग की वेबसाईट **finance.rajasthan.gov.in** पर भी देखें जा सकते है, जिनमें (बजट प्रपत्र 1से 15) उपलब्ध है।

मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर
दिनांक 8/9/2021

क्रमांक : निसंशि/लेखा-1/बजट/BFC-2022-23/29763-30169

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.सहायक निदेशक निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभाग के विभिन्न बजट मदों में स्वीकृत पदों के मिलान संबंधी कार्यवाही करावें।

2.शैक्षणिक अधिकारी-I,II निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय भवन मरम्मत के प्रस्ताव मय एस्टीमेंट दिनांक 20.09.2021 तक प्रेषित करावें।

3.आहरण-वितरण अधिकारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर/कनिष्ठ लेखाकार मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि पर कार्यालय के बजट अनुमान 2022-23 व संशोधित अनुमान 2021-22 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्र 1 से 15 में तैयार कर तथा हार्ड कॉपी कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी जांच पश्चात् हस्ताक्षर कर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें।

4.प्रभारी अधिकारी, आयोजना शाखा निदेशालय संस्कृत शिक्षा।

5. श्री शंकर सोनी पुस्तकालयाध्यक्ष निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर